

29.9.25

पञ्जावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी के आबोजें लगवाई गई। वास्तव में इन्के मालिक समय समाप्त तक कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण लम्बे समय से समान प्रोजेज वास्ते अखबार प्रकाशन बंद करने हेतु निपट है। वादी अधिवक्ता को दिनांक 18.8.25 से 28.8.25 को भी अवसर दिये गए। वादी द्वारा आज भी उपस्थित होकर समान प्रोजेज पेश नहीं किए गए हैं, जिसे जाहिर है कि वादी अपने वाद के प्रति ज़मीर नहीं हैं तथा वाद को चलाना नहीं चाहते हैं।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम हाजरी - अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय सेरेजललाय सुनाया गया। प्रकरण फ़ैसल शुमार होडा मजूर से कम हो।

(अबुला साईदुल्ला)  
IAS

1/10/25. जाह कि...  
...  
... 20 कांफ़री